न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 06/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/66

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
1. पुसानाथ उर्फ पुष्पनाथ पुत्र शंकरनाथ 2. तारानाथ पुत्र पूरणनाथ समस्त जाति नाथ निवासीगण रामसिया तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. भैरूनाथ पुत्र हरीनाथ जाति नाथ निवासी रामसिया तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 2. ग्राम पंचायत, रामसिया जरिये 1. सरपंच, ग्राम पंचायत, रामसिया तहसील मकराना। 2. ग्राम विकास अधिकारी, पदेन ग्राम सेवक तहसील मकराना।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994 बनाराजगी ग्राम पंचायत, रामसिया द्वारा जारी पट्टा हरनाथ पुत्र पूरणनाथ के नाम से मिसल संख्या 58/91–92 दिनांक 16.05.1991 को ग्राम पंचायत, रामसिया के तत्कालीन सरपंच, कल्याण सिंह द्वारा को निरस्त करने बाबत्।

आवेदन अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट

उपस्थितः–
1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील निगरारीकार की ओर से।
2. श्री विरेन्द्र सिंह वकील गैर निगरानीकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.11.2024

धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि :–

प्रार्थीगण की ग्राम रामसिया में अवस्थित घर गुवाडी पिढियों से है जिनमें प्रार्थीगण का ही रहवास के रूप में वास्तविक व भौतिक रूप से आज भी है। प्रार्थीगण की सहमति से ही शिवमन्दिर में आने जाने वाले याचियों की सुविधा हेतु एक हॉल का निर्माण सन् 2003 में करवाया तथा उक्त रहवासी व गुवाडी के मध्य ग्राम पंचायत ने शिव मन्दिर यात्रियों के लिए ब्लॉक लगाकर सडक का निर्माण करवाया। जिसमें प्रार्थीगण की गुवाडी 15 X 65 फुट की बनी है।

प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने हेतु आर.टी. आई. के तहत आवेदन दिया, तब ग्राम विक[illegible]या द्वारा दिनांक 06.02.2023 को स्पष्ट उल्लेख किया कि हरीनाथ पुत्र पू[illegible] ([illegible]र्थी के पिता) के नाम से जारी पट्टे की मिसल पत्रावली व र[illegible] पाई गई तथा रामसिया के ग्रामीणों के नाम जारी वर्ष 1987–[illegible] भी नाम नहीं है, जिनकी नकलें पेश है। इसलिए कानून व विधि विरूद्ध पट्टे को नि[illegible] करवाने की कोई मयाद नहीं होती फिर भी प्रार्थी पक्ष को उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी होते ही निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

प्रस्तुत कर दी जो अन्दर मयाद शुमार करने हेतु आवेदन पेश है। प्रार्थीगण की यह निगरानी धारा 97 के तहत निगरानी के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है एवं इस विवादित पट्टे की जानकारी होने से उचित समय के भीतर पर निगरानी प्रस्तुत की गई है, न ही उक्त फर्जी पट्टे से संबंधित दस्तावेज ही ग्राम पंचायत रामसिया के पास है, जिससे भी यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त निगरानी अन्दर मयाद शुमार की जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री विरेन्द्रसिंह ने वकालतनाम व मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने मियाद प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है। यह तथ्य गलत है कि प्रार्थीगण की सहमति से ही शिव मन्दिर में आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु एक हॉल का निर्माण सन् 2003 में करवाया तथा यह भी गलत है कि उक्त रहवासी व गुवाडी के मध्य ग्राम पंचायत ने शिव मन्दिर ने शिव मन्दिर यात्रियों के लिए ब्लॉक लगाकर सडक का निर्माण करवाया। यह भी गलत है कि जिसमें प्रार्थीगण की गुवाडी केवल 15 X 65 फुट बनी है।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत रूप से वर्णित होने से अस्वीकार है। इस पद में यह भी गलत है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं प्राप्त करने हेतु आर.टी.आई. के तहत आवेदन दिया तब ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामसिया द्वारा दिनांक 06.02.2023 को स्पष्ट उल्लेख किया कि तारानाथ पुत्र पूर्णनाथ (अप्रार्थी के पिता) के नाम से जारी पट्टे की मिसल पत्रावली व रसीद पंचायत रिकॉर्ड में नहीं पाई गई तथा यह भी गलत है कि रामसिया के ग्रामीणों के नाम जारी वर्ष 1987–1994 से पट्टा की सूची में भी नाम नहीं है। यह कहना भी गलत है कि कानून व विधि विरूद्ध पट्टे को निरस्त करवाने की कोई मियाद नहीं होती हो, यह भी गलत वर्णित है कि इस विवादित पट्टे की जानकारी होने से उचित समय के भीतर पर निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं यह भी गलत वर्णित है कि अवैध दस्तावेज पंचायत द्वारा जारी किया हुआ नहीं है, न ही उक्त फर्जी पट्टे से संबंधित दस्तावेज ही ग्राम पंचायत रामसिया के पास है, यह भी गलत वर्णित है कि जिससे भी यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद है।

यह है कि प्रार्थीगण व अन्य लोगों के द्वारा विकास अधिकारी को इस बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2023 को दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी मौजुद है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को पहले से ही उक्त जानकारी होने के बावजुद भी गलत तथ्यों के आधार पर धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पेश किया गया है। जो निरस्त होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि धारा 05 लिमिटेशन अधिनियम के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने के आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी [illegible] पत्र में दिये गये तथ्यों को वर वक्त बहस दोहराया तथा वकील अप्रार्थी ने भी [illegible] में दिये गये तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया। राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम की धारा [illegible] की उप धारा 03 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी। यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश पारित किया गया हो। उप धारा (1) के परन्तुक और उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे। उक्त प्रकरण की जानकारी निगरानीकार को 06.01.2023 को ही हो चुकी है। निगरानीकार ने उक्त निगरानी दिनांक 05.06.2024 को पेश की है। जो मियाद बाहर है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज होने से निगरानीकार की निगरानी मियाद बाहर होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:23 IST
Reason: SelfAttested